

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

जीरो वेस्ट की ओर बढ़ रहा है रतलाम नगर
वार्ड 7ए 8ए 17 व 19 को बनाया 0 वेस्ट वार्ड
स्व सहायता समूह की महिलाओं को मला रोजगार
रतलाम 05 मार्च | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री
गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार
रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व
19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग
पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे
का निष्पादन भी हुआ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस संबंध में बैठक लेकर वार्ड
क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु कये गये कार्यों
की जानकारी लेने पर बताया गया क निगम के वार्डों में 22 कचरा
संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहुची वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व
सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड
पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने घर-घर जाकर नागरिकों से गीला एव
सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के
पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान
पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर कबाडी को
तौलकर वक्रय कया गया।

बैठक में बताया गया क वार्ड क्रमांक 7ए 8ए 17 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड
बनाने का कार्य 100 प्रतिशत सफल रहा। वार्डों के प्रत्येक घरों से गीले एवं
सूखे कचरे को दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा
पृथक पृथक लया गया जिसमें नागरिकों ने उत्साह से सहयोग कया।
सूखे कचरे से ईश्वर नगर में 4 मार्च को 150ए 5 मार्च को 110ए 4 मार्च को
अलकापुरी में 770 व 5 मार्च को 425ए 5 मार्च को दीनदयाल नगर में 680 व
वार्ड क्रमांक से 542 रूपये स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्राप्त हुए।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टे^३ चंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाडी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वाई बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एपीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

उक्त वार्डों को जीरो वेस्ट वाई बनाने के दौरान निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मश्राए इंजीनियर श्री राजेश पाटीदारए श्री मनीष तिवारीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए वार्ड पर्यवेक्षकए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री नितिन तिवारीए दरोगाए आईईसी टीम के सदस्यए दुर्गा एवं ईश्वर स्व सहायता समूह की महिलाएँ उपस्थित थी।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशत कया क नगर को गारबेज फ्री सटी बनाने के लये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका वशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालो पर जुर्माना कये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होने निर्देशत कया क सभी सडको की स्वी पंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वी पंग करवाई जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सॉलकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवालए स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मश्राए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री एम.के. जैनए श्री सत्यप्रकाश आचार्यए श्री अर वन्द दशोत्तरए निगम स चव श्री जसवन्त जोशीए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पं डतए बी.एल. चौधरीए राजेश पाटीदारए वकास मरकामए मनीष तिवारीए

ब्रजेश कुशवाहए दीक्षा निजामपुरकरए सद्धार्थ सोनीए श्रीमती अनिता ठाकुरए
स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारीए सटी मैनेजर श्री कपील मारोठियाए श्री
नितिन तिवारीए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए श्री बी.एल. चावरेए
ज्ञोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाडेए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र
दोगायाए श्री अनील पाराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए दरोगा आदि उपस्थित
रहे।

दिव्यांगजनों के उपकरण व कृत्रिम अंग हेतु 7 मार्च को श वर का
आयोजन

वधायक सभागृह में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित होगा श वर
रतलाम 05 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दिव्यांगजन को उपकरण एवं
कृत्रिम अंग तथा वृद्धजनों को सहायक उपकरण प्रदाय कये जाने हेतु 07
मार्च र ववार को वधायक सभागृह में प्रातः 11:00 बजे से ष वर का
आयोजन कया गया है।

नगर निगम द्वारा अपील की जाती है क नगरीय क्षेत्र रतलाम में
निवास करने वाले दिव्यांगजन तथा वृद्धजन जिन्होने पछले तीन वर्षों से
कसी भी स्त्रोत से निःशुल्क उपकरण प्राप्त नहीं कये हैं वे उपकरणए
स्वास्थ्य परीक्षणए कृत्रिम अंग हेतु आयोजित ष वर में आय प्रमाण-पत्रए
निवास प्रमाण-पत्र जैसे आधार कार्डए राषनकार्डए द् दिव्यांग प्रमाण-पत्र
फोटोए समग्र आईडी लेकर उपस्थित होवें। इसी ष वर में नषाग्रस्त
व्यक्तियों का चन्हांकन एवं काउंस लंग भी की जायेगी।

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 9 व्यक्तियों पर स्पॉट
फाईन

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधत
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड

2 घन्टे में सफाई करवाने पर दो हास्पीटल संचालक स्पॉट फाईन से बचे
रतलाम 05 मार्च । षासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन
से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधत कये जाने के

तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा ऐसे दुकानदार व सब्जी वक्रेता जो क गंदगी कर रहे थे व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग कर रहे थे उन पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत राज कुमार कॉलेज रोड पर 3000ए जय स्टोर व चन्दन कराना सैलाना बस स्टैण्ड पर 2500.2500ए वनोद व ओमप्रकाश कालेज रोड पर 500.500ए वकास कालेज रोड व एक अन्य पर 250.250ए ओमप्रकाश व एक अन्य स्टे डयम मार्केट पर 200.200 रुपये का जुर्माना कर भ वश्य में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग ना करने की समझाईष दी गई।

इसके अलावा 80 फीट रोड पर दो हास्पिटलों के आसपास गंदगी पाये जाने पर संचालकों को हिदायत दी गई क वे दो घन्टे के अन्दर आसपास की सफाई करवा लें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। हिदायत के फलस्वरूप हास्पिटल संचालकों द्वारा दी गई समयाव ध में सफाई करवाकर स्पॉट फाईन की कार्यवाही से बचे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जीए फल-फुरट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारो द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000₹ रुपये का अर्थदण्ड कया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिकए दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है क वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाडेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय

उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अनुपस्थित 48 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 05 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डों में 05 मार्च शुक्रवार को बिना सूचना के 48 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

वार्ड 46 के प्रभारी व दो कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 05 मार्च। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई कार्य के दौरान डालू मोदी बाजार में सफाई संरक्षक राहूल-मनोहर व धर्मा-राजू द्वारा सफाई का कार्य नहीं करने व सर्फ सफाई करते हुए फोटो खंचवाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर गुमराह करने व क्षेत्रिय नागरिकों द्वारा दोनो कर्मचारियों के कृत्य व डयो बनाकर सोशयल म डया पर अपलोड करने से निगम की छ व धू मल होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दोनो कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओं सूचना पत्र जारी कया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 46 की ना लयां गंदगी से भरी पाये जाने पर वार्ड प्रभारी शैलेन्द्र मेहना का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया। महावीर नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर नागरिकों ने 46ए37ए144६ संपत्तिकर व 10ए45ए800६ जलकर जमा कराया

रतलाम 05 मार्च । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस शुल्क एवं वकास षाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विऱि में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर 29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्लिंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कडपीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉ कज ष वर

में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर मे
संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर
1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांे
ने अब तक आयोजित ष वरों मेें 46ए37ए144६ संपत्तिकर व 10ए45ए800६
जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 के
लये 6 मार्च को महावीर नगर वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9
मार्च तक पैलेस रोड तिराहा वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को
चौगानिया भेरू वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा
वभाग सायर चबुतरा वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक
चौमुखीपुल प्याऊ के पास वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक
बजाजखाना गणेश देवरी वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च
को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से
24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से
26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये
27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये
गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क
निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सुवधा के लए आयोजित कये
गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर
निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने वालो पर स्पॉट फाईन हेतु दल का गठन
नागरिक भी गंदगी करने वालो की सूचना दल को दें
रतलाम 05 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले में
नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की
पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये
जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट
फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्देए मनोज झांझोटए राकेष ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकडा जायेगा

711 मवे शयों को पकडकर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 05 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोंए सडकोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकडे जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकडा जायेगा क्यो क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 05 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 711 मवे शयों को पकडा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 04 मार्च गुरुवार को पावर हाउस रोड व महु रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकडे गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोडा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम वपरित है ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाडो का निर्माण कर मवेशियों का पालन कया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोडते है तो निगम द्वारा उन्हे तोडा जाकर राश वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोडा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राश रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवेशियों को पकडने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 संहार झोन प्रभारी श्री करण चौहान ए श्री पर्वत हाडे व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त 134 दिनों में 160 वॉल्व व 901 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 05 मार्च । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 05 मार्च तक 160 वॉल्व व 901 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी

समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 05 मार्च शुक्रवार को कस्तुरबा नगर टंकी के पास अलकापुरी थाने के पीछे हिम्मत वहार कोलोनी हरमाला रोड फुलमण्डी के पास व सखवाल नगर में पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास व जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य व उपयंत्री श्री सुहास पंडित व श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव व श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 मार्च | स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़क गली सार्वजनिक स्थल नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी कचरे के ढेर नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 05 मार्च | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर

नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 05 मार्च | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 05 मार्च | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात् पुस्टाए अखबारए लोहाए कपडाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला इस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार ख.सं. व. हेमन्त 05/03/2021 ख.पा.निगम रतलाम.